

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पालन जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(बाबू राम)
अनु सचिव ।

पुसं०- 1794(1)/15-7-2006 तबदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कागपुर ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, कागपुर ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, दून इंटरनेशनल स्कूल कागपुर ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
अनु सचिव ।



प्रेषक,

बानू राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 19 जून, 2006

विषय :- डून इंटरनेशनल स्कूल कानपुर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की गंजीकृता सौरासरी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेद्यों के लिए सुरक्षित होंगे और उनसे उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संबन्धित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को संबद्धता रोड्स बोर्ड द्वारा सेकेंड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौशल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्विसेज इन्फार्मेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की दिशि में उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्ताव या पत्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वरूप समायोजित हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं विद्यार्थी कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।

